



परिषद की बरेली जोन के अन्तर्गत बरेली/शाहजहापुर /पीलीभीत/ मुरादाबाद, चन्दौसी, अमरोहा आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्तियों की

आवंटन /
नीलामी तिथि
दिनांक : 18.06.2018
समय :
प्रातः 11.00 बजे

नीलामी स्थल: सामुदायिक केन्द्र, बौद्ध विहार योजना, मुरादाबाद

लाटरी ड्रा द्वारा सामान्य मूल्यांकन पर आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

भवन / भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी०	अनुमानित मूल्य (लाख में)/ प्र०व०मी०	बयाना धनराशि/ टोकन मनी (लाख में)
--------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------------	----------------------------------

बैम्बे योजना सी०बी० गंज, बरेली

बैम्बे भवन-5 नग (59,130,140,180,182 समस्त भवन ओ०बी०सी०) (निरस्तीकरण से प्राप्त) (डूडा कार्यालय बरेली से प्राप्त लाभार्थियों की सूची के आधार पर ही बैम्बे भवनों का आवंटन किया जायेगा)	05	25.00	0.20 प्रति नग	0.05
--	----	-------	---------------	------

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली अनावासीय सम्पत्तियों का विवरण

राजेन्द्र नगर यो०सं०-०२ बरेली

हाल्स द्वितीय तल				
एस०एफ०एच०-03	01	77.55	42.61	4.27
एस०एफ०एच०-4	01	77.55	42.61	4.27
दुकान(ई ब्लॉक)-11	01	16.00	10.5	1.10
दुकान(ई ब्लॉक)-12	01	39.954	25.74	2.60

टैगोर नगर योजना, पीलीभीत

क्योरस्क भूखण्ड-के-02 (अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित)	01	4.00	0.86	0.09
--	----	------	------	------

स्कूल भूखण्ड

क्र. सं.	योजना/शहर का नाम	सेक्टर/भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० मे	भूमि दर+लीजेरेंट +कार्नर शुल्क (कार्नर की स्थिति में) प्र०व०मी०	भूखण्ड का मूल्य (रुपये लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रुपये लाख में)
1	टैगोर नगर योजना, पीलीभीत	SCH-B/01	1020.43 कार्नर	11495.00 per sqm	117.30	11.73

बरेली मोड़ यो०सं०-०३ शाहजहापुर

व्यवसायिक भूखण्ड				
1/ कॉम-1(कार्नर)	01	1225.00	22176 प्र०व०मी०	27.17
1/ कॉम-7(कार्नर)	01	501.93	22176 प्र०व०मी०	11.13
1/ कॉम-8	01	509.00	20160 प्र०व०मी०	10.26
1/ कॉम-9	01	341.56	20160 प्र०व०मी०	6.89
1/ कॉम-10	01	338.22	20160 प्र०व०मी०	6.82
1/ कॉम-11	01	334.80	20160 प्र०व०मी०	6.75
1/ कॉम-12	01	331.39	20160 प्र०व०मी०	6.68
1/ कॉम-12/1 (कार्नर)	01	642.19	22176 प्र०व०मी०	14.24
2/ कॉम-15	01	632.32	20160 प्र०व०मी०	12.75
2/ कॉम-16	01	616.31	20160 प्र०व०मी०	12.42
2/ कॉम-17	01	600.30	20160 प्र०व०मी०	12.10
2/ कॉम-18	01	584.29	20160 प्र०व०मी०	11.78
2/ कॉम-19	01	568.78	20160 प्र०व०मी०	11.47
2/ कॉम-20	01	553.27	20160 प्र०व०मी०	11.15
2/ कॉम-21	01	537.27	20160 प्र०व०मी०	10.83
2/ कॉम-22 (कार्नर)	01	538.98	22176 प्र०व०मी०	11.95
3/ कॉम-5 (कार्नर)	01	1319.62	22176 प्र०व०मी०	29.26
3/ कॉम-6 (कार्नर)	01	1608.75	22176 प्र०व०मी०	35.68
3/ कॉम-11	01	587.00	20160 प्र०व०मी०	11.83
3/ कॉम-12	01	587.00	20160 प्र०व०मी०	11.83
3/ कॉम-13 (कार्नर)	01	465.02	22176 प्र०व०मी०	10.31
कम्युनिटी सेन्टर-सी.सी.-5/1 (कार्नर) लीज पर	01	4352.25	10890 प्र०व०मी०	47.40
सी.एस.सी.-1/01 (कार्नर)	01	973.75	22176 प्र०व०मी०	21.59
सी.एस.सी.-2/01 (कार्नर)	01	1248.44	22176 प्र०व०मी०	27.69
सी.एस.सी.-2/02 (कार्नर)	01	1151.00	22176 प्र०व०मी०	25.52
सी.एस.सी.-2/03 (कार्नर)	01	1470.00	22176 प्र०व०मी०	32.60
सी.एस.सी.-2/04 (कार्नर)	01	1540.00	22176 प्र०व०मी०	34.15
सी.एस.सी.-3/01 (कार्नर)	01	792.00	22176 प्र०व०मी०	17.76
सी.एस.सी.-3/02 (कार्नर)	01	1126.45	22176 प्र०व०मी०	24.98
सी.एस.सी.-4/01 (कार्नर)	01	1764.00	22176 प्र०व०मी०	39.12

लाटरी ड्रा द्वारा सामान्य मूल्यांकन पर आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

भवन / भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी०	अनुमानित मूल्य (लाख में)/ प्र०व०मी०	बयाना धनराशि/ टोकन मनी (लाख में)
--------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------------	----------------------------------

सम्भल गेट योजना संख्या-1, चन्दौसी

अल्प आय वर्ग भवन (29/60 प्रकार)				
अनारक्षित-2/744	01	61.88 वर्ग मी.	15.83	0.80

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

मझोला योजना- संख्या 4, भाग-2, मुरादाबाद

भवन / भूखण्डों का प्रकार एवं सम्पत्ति संख्या	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी०	आरक्षित मूल्य (लाख में)/ आरक्षित दर प्रति० व मी.	बयाना धनराशि/ टोकन मनी (लाख में)
आवासीय भूखण्ड (81 से 170 वर्ग मीटर तक)				
अनारक्षित-11/460	01	81.00	21840 प्र.व.मी.	0.89

जिगर विहार योजना, मुरादाबाद

आवासीय भूखण्ड (171 वर्ग मी. से बड़े)				
अनारक्षित - ए/478	01	296.79 कार्नर	27104 प्र.व.मी.	4.03
अनारक्षित - ए/479	01	277.93	24640 प्र.व.मी.	3.43
अनारक्षित - ए/480	01	241.00	24640 प्र.व.मी.	2.97
अनारक्षित - ए/481	01	250.50	24640 प्र.व.मी.	3.09
अनारक्षित - ए/482	01	259.00	24640 प्र.व.मी.	3.19
अनारक्षित - ए/483	01	266.50	24640 प्र.व.मी.	3.29
अनारक्षित - ए/484	01	277.00	24640 प्र.व.मी.	3.42
अनारक्षित - ए/485	01	290.00	24640 प्र.व.मी.	3.58

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली अनावासीय सम्पत्तियों का विवरण

जिगर विहार योजना, मुरादाबाद

कम्युनिटी सेन्टर भूखण्ड- सीसी-1 (लीज पर)	01	1481.82	24200.00 प्र.व.मी.	35.86	1.5
--	----	---------	--------------------	-------	-----

बौद्ध विहार योजना, मुरादाबाद

व्यावसायिक भूखण्ड-4ए-कॉम-सी.पी.-01 (कार्नर)	01	421.54	49280.00 प्र.व.मी.	20.77	1.2
---	----	--------	--------------------	-------	-----

प्रीमियम हाउसिंग भूखण्ड

अनारक्षित - पीएच/5/6	01	1126.68	35600.00 प्र.व.मी.	40.11	
अनारक्षित - पीएच/5/7	01	530.01 कार्नर	39160.00 प्र.व.मी.	20.76	
अनारक्षित - पीएच/5/8	01	378.00	35600.00 प्र.व.मी.	13.46	
अनारक्षित - पीएच/5/9	01	378.00	35600.00 प्र.व.मी.	13.46	
अनारक्षित - पीएच/5/10	01	378.00	35600.00 प्र.व.मी.	13.46	
अनारक्षित - पीएच/5/11	01	378.00	35600.00 प्र.व.मी.	13.46	
अनारक्षित - पीएच/5/12	01	378.00	35600.00 प्र.व.मी.	13.46	
अनारक्षित - पीएच/5/12 ए	01	378.00	35600.00 प्र.व.मी.	13.46	
अनारक्षित - पीएच/5/14	01	387.45	35600.00 प्र.व.मी.	13.80	

व्यवसायिक भूखण्ड

अनारक्षित - 7ए/सीपी-1/01	01	442.54 कार्नर	48048.00 प्र.व.मी.	21.26	
अनारक्षित - 7ए/सीपी-1/05	01	442.54 कार्नर	48048.00 प्र.व.मी.	21.26	

सेक्टरियल कन्वीनिएन्ट शॉपिंग भूखण्ड

अनारक्षित - सीएस-7बी-02	01	666.81 कार्नर	48048.00 प्र.व.मी.	32.04	1.2
-------------------------	----	---------------	--------------------	-------	-----

लाजपत नगर योजना, मुरादाबाद-दुकानें

एस-71	01	17.49	11.61	1.16	
एस-72, 73	02	16.89	11.27	1.13	
एस.-81, 82, 83, 84	04	16.52	11.06	1.11	
एस.एफ.-71	01	16.07	9.52	0.95	
एस.एफ.-60	01	13.38	8.01	0.80	
एस.एफ.-62, एस.एफ.-86	02	7.73	4.85	0.49	

सम्भल गेट योजना सं०-1, चन्दौसी

कम्युनिटी सेन्टर भूखण्ड- सीसी-1 (लीज पर)	01	1375.00 कार्नर	13310.00 प्र.वि.मी.	18.30	एफएआर 1.00
--	----	----------------	---------------------	-------	------------

मझोला योजना- संख्या 4, भाग-2, मुरादाबाद

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-5/जीएच-1 (कार्नर)	01	5037.00	36036.00	181.52	1.5
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-5/जीएच-2	01	4432.00	32760.00	145.20	1.5
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-7/ई-1	01	10850.00	32760.00	355.45	1.5
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-7/ई-4	01	8424.00	32760.00	275.97	1.5
व्यावसायिक भूखण्ड-7ए/02 (कार्नर)	01	3161.00	48048.00	151.90	1.2
व्यावसायिक भूखण्ड-7बी/1ए (कार्नर)	01	2082.01	48048.00	100.00	1.2
व्यावसायिक भूखण्ड-7बी/1बी	01	2354.55	48048.00	102.85	1.2
व्यावसायिक भूखण्ड-7बी/1सी (कार्नर)	01	2139.22	48048.00	103.00	1.2
व्यावसायिक भूखण्ड-सी.पी. 7सी/1ए (कार्नर)	01	2236.15	48048.00	107.45	1.2
व्यावसायिक भूखण्ड-सी.पी. 7सी/1बी	01	2388.83	48048.00	104.35	1.2
व्यावसायिक भूखण्ड-सी.पी. 7सी/1सी (कार्नर)	01	2337.00	48048.00	112.29	1.2
व्यावसायिक भूखण्ड-7डी/01 (कार्नर)	01	3268.00	48048.00	157.02	1.2

स्कूल भूखण्ड

क्र. सं.	योजना/शहर का नाम	सेक्टर/भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० मे	भूमि दर+लीजेरेंट +कार्नर शुल्क (कार्नर की स्थिति में) प्र०व०मी०	भूखण्ड का मूल्य (रुपये लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रुपये लाख में)
1	मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद- स्कूल भूखण्ड	SCH-7C/01	1691.25 कार्नर	23595.00 per sqm	399.05	39.91
2	योजना संख्या -2, अमरोहा स्कूल भूखण्ड	SCH-P1	1610.92	11550.00 per sqm	186.06	18.61

स्कूल भूखण्ड

क्र. सं.	योजना/शहर का नाम	सेक्टर/भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० मे	भूमि दर+लीजेरेंट +कार्नर शुल्क (कार्नर की स्थिति में) प्र०व०मी०	भूखण्ड का मूल्य (रुपये लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रुपये लाख में)
1	मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद - स्कूल भूखण्ड	SCH-6B/01	2914.66 कार्नर	23595.00 per sqm	687.71	68.77
2	सम्भल गेट योजना संख्या-1 चन्दौसी- स्कूल भूखण्ड	SCH-10/01	10075.75 कार्नर	23595.00 per sqm	2377.35	237.74
3	जिगर विहार योजना, मुरादाबाद-स्कूल भूखण्ड	SCH-P1	4040.00 कार्नर	13310.00 per sqm	537.73	53.77
		SCH-01	1998.92 कार्नर	26620.00 per sqm	532.11	53.21

नोट : बरेली मोड़ यो० सं-3 शाहजहापुर में 02 नग फेसिलिटी भूखण्ड उपलब्ध है।

उपरोक्त स्कूल भूखण्ड हेतु रु. 1000/- कार्यालय में नगद जमा कर स्कूल भूखण्ड हेतु आवेदन पुस्तिका प्राप्त कर उसे पूर्ण कर व आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा करना होगा, प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं शॉर्ट लिस्टिंग के उपरान्त वैध/पात्र आवेदक संस्थाओं को आगामी निर्धारित तिथि पर नीलामी में भाग लेना होगा, प्राप्त बोली पर परिषद मुख्यालय द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

नीलामी में प्रतिनिधि के रूप में सम्पत्ति पर बोली बोलने का अधिकार तभी मान्य होगा जब अधिकार पत्र/पाँवर ऑफ एटोर्नी नोटरी द्वारा सत्यापित हो।

सम्पत्तियों के पुर्नजीवन/निरस्तीकरण/ कोर्ट केस के स्थगन व अन्य कारणों से सम्पत्तियों की संख्या में घट बढ़ हो सकती है।

आवंटन/नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियों पर सम्पत्ति के मूल्य का 05 प्रतिशत तथा ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों/प्रीमियम हाउसिंग भूखण्डों एवं अनावासीय सम्पत्तियों के मूल्य का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/RTGS, NEFT जो "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के नाम तथा संबंधित नगर पर देय हो। आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप पर बैंक ड्राफ्ट/RTGS, NEFT एवं आवश्यक शपथ-पत्र सहित आवंटन की तिथि से दो दिन पूर्व तथा नीलामी हेतु सील्ड बिड नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक सम्बन्धित स्थानीय कार्यालय में दी जा सकती है तथा खुली बोली हेतु नीलामी फार्म जमा करके टोकन एक दिन पूर्व भी संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। चेक/नकद स्वीकार नहीं होगा। जिन सम्पत्तियों को ऑफर हुए दो वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं तथा उन्हें नीलामी में कम से कम तीन बार शामिल न किया गया हो, ऐसे मामलों में एकल बोली या ऑफर (बिड) सक्षम स्तर से ही निरस्त कर दी जायेगी।

सम्पत्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

सशर्त (कन्डीशनल) एवं अपूर्ण आवेदन-पत्र मान्य नहीं होंगे, तथ्यों को छिपाकर शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर जमा की गई सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नीलामी के माध्यम से आवंटित सम्पत्तियों को आवेदकों द्वारा न लिये जाने की स्थिति में उनके द्वारा जमा सम्पूर्ण टोकन धनराशि जब्त कर ली जायेगी। आवंटन हेतु आवेदन फार्म कार्यालय से निर्गत किए जायेंगे। आवेदन फार्म जमा करने से पूर्व फार्म का, कार्यालय से परीक्षण कराया जा सकता है। शासनादेश के अन्तर्गत जी.एस.टी. की जो भी दर/जिस तिथि से निर्धारित होगी, उसका भुगतान तदनुसार अलग से करना होगा।

आवास आयुक्त